

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6 (56)2022 / कार्मिक-विविध / प्रमुवसं 00064-पार्ट-3

निमित्त,

समस्त वनाधिकारीगण।

विषय : विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशिष्ट शासन सचिव वन ने विभागीय अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड एवं विद्यालय भर्ती आदि में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से पूर्व विभागीय अनापत्ति के संबंध में परिपत्र क्रमांक प. 12 (9)वन/ 2019-00321 दिनांक 02.07.2024 प्रसारित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न उक्त परिपत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उक्तानुसार

भवदीया,

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 6 (56)2022 / कार्मिक-विविध / प्रमुवसं 00064-पार्ट-3

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर प्रकाशन हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)

उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Shilpa Mehra
Designation: Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2024.10.17 14:10:32 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प0 12(9)वन/2019-00321

जयपुर, दिनांक

परिपत्र

विभागीय अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड एवं विश्वविद्यालय भर्ती आदि में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से पूर्व विभागीय अनापत्ति चाही जाती है, जिससे न केवल प्रकरण में विलम्ब होता है, बल्कि अनावश्यक पत्राचार व कार्यभार बढ़ता है।

इस हेतु वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F.No. 7(2)FD/TAX/2016 Pt. dated 01.10.2020 एवं Corrigendum F.No.1(1)Fin/Rev/16 Pt dated 07.10.2020 के समान ही आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक विभाग से अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

उक्त परिपत्र के प्रावधानानुसार शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर एवं अंतिम चयन उपरान्त कार्यग्रहण के समय विभागीय अनुमति प्राप्त करने बाबत संघ लोक सेवा आयोग और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी लागू किए जाते हैं।

(मोनाली सेन)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय वन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन।
3. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली

RajKaj Ref
8444869



Signature valid

विशिष्ट शासन सचिव
Digitally signed by Monali Sen
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.07.02 18:22:04 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Email jsforest@rajasthan.gov.in

Nidhi letter